तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप० बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5.6.24 को पेश हो। [signature]	
5.6.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी [illegible] खारिज की जाती है निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] संलग्न है पत्रावली [illegible] [illegible] से बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] सचिन यादव उपजिलाधिकारी पुवायां	

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 125/22 दायर दिनांकः 07.11.22

जीसीएमएस नं. 2022/321

1.मनोरमा पत्नि स्व. राजवीर, 2.चेष्टा पुत्री स्व. राजवीर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मनोरमा, 3.सिद्धान्त पुत्र स्व. राजवीर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मनोरमा जातियान ठाकुर (जाट) नि. पथैना, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1.माया देवी पुत्री साहब सिंह पत्नि संजीव जाति ठाकुर (जाट) नि. पथैना तह. भुसावर हाल निवासी पिसावा तह. गवहाना जिला अलीगढ़ उ.प्र.

2.मन्जू पुत्री साहबसिंह पत्नि विक्की जाति ठाकुर (जाट) नि. पथैना, तह. भुसावर हाल नि. ज्यालाबाद, तह. गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उ.प्र.

3.देवेन्द्री पत्नि साहबसिंह जाति ठाकुर (जाट) नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. एवं
आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. व सिलसिले
प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी.

अधिवक्ता— 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी —प्रार्थीगण
2.श्री महेश मीना —अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 05.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. व सिलसिले प्रार्थना पत्र धारा 144 पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 359/15 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 687 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 1375 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, 1377 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, 1378 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 1379 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 1559 रकबा 01 बीघा, 1561 रकबा 03 बीघा, 1565 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एवं आ.ख.नं. 1415 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है। जिनके नये ख.नं. 2304 रकबा 0.51, 2306 रकबा 0.53, 2308 रकबा 0.21, 2309 रकबा 0.34, 2542 रकबा 0.16, 2544 रकबा 0.02, 2548 रकबा 0.34, 313 रकबा 0.24, 1294 रकबा 0.35, 2351 रकबा 0.57 हैक्टे. बनाये गये है। जिनमें प्रार्थीगण के पति व पिता राजवीर खातेदार काश्तकार काविज आराजी है।

उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पति व पिता राजवीर व चंचल बाई एवं रूपसिंह के विरूद्ध एक मुकदमा नंबर 152/1994 उनवानी मायादेवी वगै. बनाम राजवीर वगै. का सहायक कलैक्टर, वैर के समक्ष डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी की दादरसी हेतु पेश किया था। जो दिनांक 22.01.2001 को इस प्रकार डिक्री किया गया कि " ग्राम पथैना की आराजी ख.नं. 268/359 मिन रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 687 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 1375 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, 1377 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, 1378 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 1379 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 1561 रकबा 03 बीघा, 1565 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा पर माया, मन्जू पुत्री साहब सिंह, देवेन्द्री वेवा साहबसिंह राजवीर पुत्र साहब सिंह, चंचल बाई वेवा चूरामन जाति ठाकुर वाहिस्सा बराबर दर्ज हो। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त वर्णित आराजी में उक्त व्यक्तियों के नाम अमल दरामद कागजात में पटवार में दर्ज कराने हेतु एक तहरीर नामब तहसीलदार, भुसावर को न्यायालय सहायक कलैक्टर, वैर द्वारा क्रमांक/राजस्व/2001/1176 दिनांक 25.06.2001 को जारी की गई। जिसके अनुरूप तहरीर में वर्णित अुनसार प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज कर नामान्तरकरण खोला गया। जो वाद गौर नायब तहसीलदार, भुसावर द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रार्थीगण के पति/पिता राजवीर ने सहायक कलैक्टर, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2001 की अपील माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहाँ की, जो

336

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

ांक 05.03.2004 को बाद सुनवाई स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री नांक 22.01.2001 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित की क "वे आराजी विवाद पैत्रिक होने से इसके समस्त वारिसों को नियमानुसार पक्षकार होने से इसके समस्त वारिसों को नियमानुसार पक्षकार बनाते हुये पुनः उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुये अपना निर्णय 03 माह में पारित करने एवं पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.04.2004 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था।" किन्तु वादीगण उक्त प्रकरण में बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं हुये और उनका दावा अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट, वैर में दिनांक 09.10.2009 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिसकी वादीगण को जानकारी होने के बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2001 अस्तित्व में नहीं रही है। और इस अस्तित्व हीन निर्णय व डिक्री के आधार पर अप्रार्थीगण माया, मन्जू व देवेन्द्री का प्रत्येक के नाम जो 1/5, 1/5 का दाखिल खारिज दर्ज किया गया था, वह निरस्त हो जाता है।

उक्त दाखिल खारिज से पूर्व प्रार्थीगण के पति/पिता राजवीर सिंह मद नंबर 02 में वर्णित खसरा नंबरान के खातेदार काश्तकार रहे थे। एवं धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2001 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायोचित है। जिसके लिये प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष पूर्व में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री महेश मीना एडवोकेट वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित करीब–2 सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया।

हमने बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं जवाब अप्रार्थीगण का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त सभी के अध्ययन करने के पश्चात हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीयागण के विरुद्ध इस अम्र से जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी ख.नं. 2304 रकबा 0.51, 2306 रकबा 0.53, 2308 रकबा 0.21, 2309 रकबा 0.34, 2542 रकबा 0.16, 2544 रकबा 0.02, 2548 रकबा 0.34, 813 रकबा 0.24, 1294 रकबा 0.35, 2351 रकबा 0.57 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)